

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (504)/एनएचएम/एचआर/2024/93

दिनांक 20/01/2025

आदेशः

संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती-2022 के अन्तर्गत किये जा रहे दस्तावेज सत्यापन कार्य में कार्यरत निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदेश क्रमांक संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) के क्रमांक प. 1(1)चिस्वा/2/2025/दिनांक 15.01.2025, निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 23 दिनांक 15.01.2025 एवं मिशन निदेशक, एनएचएम के आदेश क्रमांक एफ 20(452)/ एनएचएम/एचआर/ रिलोकेशन/2025/73 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा स्थानान्तरण/रिलोकेशन अन्यत्र स्थान पर होने के फलस्वरूप इनको मूल पदस्थापन स्थान हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दस्तावेज सत्यापन में कार्य में पदस्थापन आदेश क्रमांक व दिनांक	मूल पदस्थापन स्थान
1	डॉ. सीताराम पारीक	प्रमुख विशेषज्ञ (दन्त)	1356/06.08.2024	जिला चिकित्सालय टोंक
2	डॉ. अनुपमा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त)	1237/25.07.2024	जिला जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर
3	डॉ. अनुमेहा गुलाटी (कत्याल)	कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त)	1237/25.07.2024	हरिबक्श कांवटिया चिकित्सालय, शास्त्री नगर, जयपुर
4	श्री मनोज कुमार शर्मा	नर्सिंग ट्यूटर	1116/10.07.2024	कार्यालय प्रधानाचार्य, जीएनएमटीसी, भीलवाड़ा
5	श्री मेहुल जैन	जिला कार्यक्रम अधिकारी, एनयूएचएम	1265/29.07.2024	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली
6	डॉ. मोहम्मद इब्राहिम	आयुर्वेद ऑफिसर	1237/25.07.2024	पीएचसी जाहोता, ब्लॉक जालसू जिला जयपुर-प्रथम


उपरोक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण पश्चात् पुनः अपनी उपस्थिति दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु एनएचएम मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

(तूलिका सैनी)
परियोजना निदेशक
एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम मुख्यालय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, मुख्यालय।

3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, टोंक।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सांगानेर, जयपुर—द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि डॉ. सीताराम पारीक, प्रमुख विशेषज्ञ (दन्त) एवं डॉ अनुमेहा गुलाटी (कत्याल) को कार्यग्रहण पश्चात् तत्काल एनएचएम मुख्यालय हेतु कार्यमुक्त करे।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रभारी, उप जिला चिकित्सालय, फुलेरा, जयपुर—द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि डॉ. अनुपमा कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त) को कार्यग्रहण पश्चात् तत्काल एनएचएम मुख्यालय हेतु कार्यमुक्त करे।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम/द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि डॉ. मोहम्मद इब्राहिम, आयुर्वेद अधिकारी एवं श्री मेहुल जैन जिला कार्यक्रम अधिकारी, एनयूएचएम को कार्यग्रहण पश्चात् तत्काल एनएचएम मुख्यालय हेतु कार्यमुक्त करे।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली।
9. चिकित्सा अधीक्षक, हरिबक्श कांवटिया चिकित्सालय, शास्त्री नगर, जयपुर।
10. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, एमजी हॉस्पिटल, भीलवाड़ा।
11. प्रधानाचार्य, जीएनएमटीसी, भीलवाड़ा
12. प्रधानाचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार शर्मा, नर्सिंग ट्यूटर को कार्यग्रहण पश्चात् तत्काल एनएचएम मुख्यालय हेतु कार्यमुक्त करे।
13. संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को पालनार्थ।
14. प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते ई-मेल हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


परियोजना निदेशक
एनएचएम